HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2570/2026

Premchand Suman S/o Sh. Mahveer Suman,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 7526/2025

Dinesh Tiwari S/o Sh. Girijashankar

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sajid Ali, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

24/04/2026

राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

वर्तमान प्रकरण में दिनांक 31.07.2015 को संबंधित क्षेत्र के तत्कालीन विधायक द्वारा यह शिकायत की गयी कि कोटा–दर्रा 24 किलोमीटर सडक मार्ग का निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है, इस आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता से गुणवत्ता के संबंध में जांच करवायी गयी, मानकों के अनुसार कार्य नहीं पाये जाने पर ए.सी.बी., कोटा चौकी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 331/2017 दर्ज की गयी। अभियुक्त प्रेमचंद उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए संवेदक था तथा अभियुक्त दिनेश तिवारी तथा भंवरलाल तत्समय क्रमशः अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंता थे। दोनों अभियंताओं पर यह आरोप है कि उनके द्वारा गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण से करीब चार करोड रूपये का राजकोष को नुकसान हुआ।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण/अभियुक्तगण का निवेदन है कि जिस स्थान पर सडक निर्माण किया गया था वह दर्रा अभ्यारण्य क्षेत्र के पास होकर उबड–खाबड व अत्यधिक बारिश वाला स्थान है तथा वहां पर खननशुदा पत्थर के ट्रकों का भारी संख्या में आवागमन रहता है। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हुआ था, कालान्तर में उपरोक्त कारणों से यदि सडक क्षतिग्रस्त हुई है तो ऐसे मामलों में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। उनका यह भी निवेदन है कि कथित घटना वर्ष 2013–14 की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2017 में दर्ज हुई थी तथा पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण ही पुलिस द्वारा आज तक आरोप पत्र पेश नहीं किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि वैध पारिश्रमिक के अलावा उत्कोच राशि के आदान–प्रदान के कोई आरोप नहीं है, अतः धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कोई मामला नहीं बनता है, लंबे समय बाद पुनः राजनैतिक हस्तक्षेप के माध्यम से अभियुक्तगण को प्रताडित किया जा रहा है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन स्वीकृति मिलने में विलंब होने के कारण नतीजा पेश नहीं हो पाया है, अब हाल ही में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त के साथ याचीगण/अभियुक्तगण **प्रेमचंद सुमन, दिनेश तिवारी व भंवरलाल महावर** को आगामी आदेश तक पुलिस थाना **ए.सी.बी., चौकी कोटा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **331/2017** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान व नतीजे के संबंध में तथ्यात्मक/प्रगति रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

दोनों पत्रावली चार **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /47-48